



बनारस होटेल्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल55101यूपी1971पीएलसी003480 पंजीकृत कार्यालय : नदेसर पैलेस कंपाउंड, वाराणसी - 221002

टेली. नं : 0542-6660001

ईमेलः investorrelations@tajhotels.com वेवसाइटः www.benareshotelslimited.com

सदस्यों को सूचना

बनारस होटेल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों अधिनियम) और उनके साथ पढ़े जाने पर निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण तथा धन-वापसी) नियम 2016 (नियम) तथा उनके समय समय पर लागू किन्हीं भी वैधानिक रूपांतरणों अथवा पुनराधिनियमनों के अनुसार, कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह जिन शेयरों के लिए 7 क्रमिक वर्षों के लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण के डीमैट खाते में निर्धारित ढंग से अंतरित कर दे।

उपरोक्त नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुसरण करते हुए कंपनी संबंधित सदस्योंकों, जिनके शेयरों को उपरोक्त नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करना आवश्यक है, उनके नवीनतम उपलब्धों पतों पर व्यक्तिगत संदेश भी भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने ऐसे सदस्योंका और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण किए जाने के अधीन शेयरों के पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट <u>www.benareshotelslimited.com</u> पर अपलोड कर दिया है।

इसी के अनुरूप, सदस्यों से निवेदन किया जाता है आर्थिक वर्ष 2010-11 से संबंधित बिना चुकायी/बिना दावा की गयी देय लाभांश राशि का 15 नवंबर 2017 के पहले तत्काल दावा करें ताकि ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किये जाने से बचा जा सके।

सदस्यों को कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में सभी संचार में निम्नलिखित विवरण देना होगा: 1) फोलियो नंबर या डीपी आईडी और ग्राहक आईडी 2) सदस्य का नाम 3) फोन नंबर 4) ईमेल आईडी। सदस्य स्वयं-प्रमाणित केवायसी दस्तावेज, जैसे पैन,]]र किए गए चेक पत्र, नवीनतम उपयोगिता बिल के साथ पते के प्रमाण के रूप में प्रदान करे।

संदस्य यह ध्यान दे कि शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाने के बाद भी, सदस्य आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयर / लाभांश वापस लेने का दावा आईईपीएफ-5 के फार्म से कर सकते है। शेयर / लाभांश वापस लेने का दावा करने के लिए नियम और आवेदन प्रपत्र आईईपीएफ - 5, कंपनी की वेबसाइट www.benareshotelslimited.com और एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं।

अधिनियम की धारा 124(5) के अनुसार आर्थिक वर्ष 2009-10 तक का दावा न किया हुआ लाभांश आईईपीएफ में अंतरित किया गया है। यदि कंपनी को संबंधित सदस्य(स्यों) से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी निर्धारित तारीख को ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करेगी।

किंसी भी प्रश्न के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय से कृपया निसंकोच संपर्क करें।

& Lundasten (Varonavi) Pg-02 बनारस होटेल्स लिमिटेड के लिए

नई दिल्ली, 31 अक्तुबर, 2017

वनिका महाजन कंपनी सचिव

3-11.17

A. P. A. M.

BENARES HOTELS LIMITED

Corporate Identity Number: L55101UP1971PLC003480 Registered Office : Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002

REALS PARALLES RESEALES STRATE

Tel No. 0542-6660001

Email: investorrelations@tajhotels.com, Website: www.benareshotelslimited.com

NOTICE TO MEMBERS

Members of Benares Hotels Limited (the Company) are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force, the Company is required to transfer the shares for which dividend has not been claimed for 7 (seven) consecutive years to the demat account of Investor Education and Protection Fund and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner.

Adhering to the requirements set out in the Rules, the Company has already sent individual communications to the concerned Members at their latest available addresses whose shares are required to be transferred to demat account of IEPF Authority as per the aforesaid Rules for taking appropriate action. Further, the Company has uploaded on its website www.benareshotelslimited.com, full details of such Members and their shares which are liable for transfer to demat account of IEPF Authority.

Accordingly, the Members are requested to immediately claim the unpaid/unclaimed dividend amount due for the financial year 2010-11 and respond latest by November 15, 2017 to avoid such shares being transferred to demat account of IEPF Authority.

Members are required to provide following details in all communications at the office of the Registrar & Share Transfer Agent of the Company: 1. Folio No. or DP ID and Client ID 2. Name of the Member 3. Contact No. 4. Email id. Also provide self-attested KYC documents of the Member, like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof.

Members may note that after the shares have been transferred to IEPF, they can claim the said shares from IEPF Authority by filing Form IEPF-5, as prescribed under the said Rules. The Rules and the application Form IEPF-5, for claiming back the shares/ dividend, are available on the website of the Company www.benareshotelslimited.com as well as website of MCA www.iepf.gov.in.

The unclaimed dividend upto the financial year 2009-10 have already been transferred to the IEPF, as required under Section 124(5) of the said Act.

In case the Company does not receive any response from the concerned Member(s), the above said shares will be transferred to IEPF at appropriate prescribed date.

Please feel free to contact the office of the Registrar & Share Transfer Agent of the Company in case of any queries. By order of the Board of Directors

1c1 - @ 26

New Delhi, October 31, 2017

Delhi

VANIKA MAHAJAN Company Secretary

THE FINANCIAL EXPRESS Thu, 02 Novemb epaper.financi

02/11/2017